अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदे ।–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय, आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

आंगनबाड़ी अपील वाद संख्या 135 / 2012

उषा कुमारी — अपीलकर्त्ता

बनाम

राज्य एवं अन्य — रेस्पाण्डेन्ट्स / विपक्षीगण

–:आदेश:–

प्रस्तुत आंगनबाड़ी वाद जिला पदाधिकारी, सुपौल के न्यायालय से आदेश दिनांकः 27.03.2012 ई० अंदर आंगनबाड़ी अपील वाद संख्या–04 / 2012 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के दाखिल किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों को बहस के दौरान सुना। अभिलेख का अवलोकन किया ।

संक्षेप में मामला यह है कि जिला पदाधिकारी, सुपौल के न्यायालय में सरिता कुमारी पति – श्रवण कुमार, ग्राम– जोल्हनियां पंचायत– पथरा उत्तर प्रखंड – पिपरा द्वारा दिनांक 01.03.12 को जिला जनता दरबार एवं न्यायालय में आ0 केन्द्र कोड–71 पर सेविका चयन के विरूद्ध परिवाद पत्र दिया गया जिसमें परिवादकर्त्ता सरिता कुमारी द्वारा कथन किया गया कि प्रश्नगत केन्द पर श्रीमती उंषा कुमारी पति– जवाहर मंडल केन्द्र पर सहायिका का कार्य करते हुए इन्टर की परीक्षा नियमित छात्रा के रूप में 75 प्रतिशत उपस्थिति रहकर बी0 एस0 कॉलेज सिंहेश्वर, मधेपुरा से द्वितीय श्रेणी प्राप्तांक 490 के साथ वर्ष 2006 में उत्तीर्ण की है वो माह अप्रील 2004 से मार्च 2005 तथा अप्रील 2005 से मार्च 2006 तक पूर्ण मासिक मानदेय प्राप्त की एवं इन्टर में प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर केन्द्र संख्या 71 पर सेविका चयन हेतु निर्मित मेधासूची में उषा कुमारी 01 नम्बर पर होने के कारण चयनित की गई। परिवादकर्त्ता द्वारा अपने परिवाद पत्र में यह भी कथन किया गया कि वे मेघा सूची में 02 नम्बर पर हैं और उषा कुमारी का प्रस्तुत इन्टर का प्रमाण पत्र अवैध है, उशा कुमारी का नाम मेघा सूची से हटाकर उक्त सेविका पद पर उन्हें चयन करने का आदेश दिया जाय। विद्वान जिलाधिकारी, सुपौल द्वारा उभय पक्षों को सुनकर सरिता कुमारी का प्रमाण पत्र को विधिपूर्ण नहीं पाते हुए इनका दावा सेविका पद के लिए रद्द करते हुए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पिपरा को आदेश दिया गया कि इनका नाम मेघा सूची से विलोपित करते हुए नियमानुसार योग्य अभ्यर्थी के चयन की कार्रवाई एक

सप्ताह में पूर्ण करेंगे। साथ ही मानदेय प्राप्त करते हुए नियमित छात्रा के रूप में परीक्षा में उत्तीर्ण होने के चलते सहायिका पद से भी चयन रद्द किया जाता है तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को यह भी निदेश गया कि श्रीमती उशा कुमारी द्वारा गलत तरीके से प्राप्त इन्टर का प्रमाण पत्र के संबंध में महाविद्यालय प्रशासन को पत्र द्वारा सूचित करें वो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सहायिका उषा कुमारी से यह भी स्पष्टीकरण प्राप्त कर मंतब्य के साथ अधोहस्ताक्षरी को एक सप्ताह में सूचित करेंगे कि क्यों नहीं सहायिका पद पर कार्यरत अवधि को अवैध मानते हुए इंटर की पढ़ाई के लिए महाविद्यालय में उपस्थित तिथियों के लिए मानदेय वसूली की कार्रवाई की जाय। इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में अपीलकर्त्ता द्वारा यह अपील दाखिल किया गया है।

उषा कुमारी सहायिका का कार्य करते हुए इन्टर की परीक्षा नियमित छात्रा के रूप में 75 प्रतिशत उपस्थित रहकर बी० एस० कॉलेज सिहेंश्वर, मधेपुरा से द्वितीय श्रेणी प्राप्तांक 490 के साथ वर्ष 2006 में उत्तीर्ण करने के विन्दु पर सरकारी अधिवक्ता बहस के दौरान घोर आपत्ति करते हुए कथन करते है कि विभागीय प्रावधानानुसार किसी भी कर्मी को अध्ययन के लिए विभाग से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। अपीलकर्त्ता द्वारा अध्ययन हेतु कोई अनुमति नहीं लिया गया प्रतीत होता है अतएवं बिना अनुमति प्राप्त किए सहायिका का कार्य करते हुए नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन कर इंटर की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर प्राप्त प्रमाण पत्र को विधिपूर्ण नहीं मानते हुए विद्वान जिलाधिकारी महोदय द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत प्रतीत होता है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात के परिशीलनोपरान्त यह पाया कि विद्वान जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा श्री उषा कुमारी के चयन रद्द करने एवं इनके विरूद्ध अन्य कार्रवाई से संबंधित न्यायोचित आदेश पारित किया गया है इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यता प्रतीत नहीं होती है। जहाँ तक *आंगनबाड़ी सेविका के चयन हेतु मार्गदर्शिका, 2011 की कंडिका 10(3) के अनुसार मेधा कमांक 02 की अभ्यर्थी सरिता कुमारी, पति–श्रवण कुमार, ग्राम–जोल्हनियाँ, पंचायत–पथरा (उ0), प्रखंड– पिपरा जिला– सुपौल का सेविका पद पर चयन का प्रश्न है, दिनांक 18.02.2012 को 01.00 बजे दिन में पथरा (उ0) पंचायत स्थित केन्द्र संख्या –71 के रिक्त आंगनबाड़ी सेविका पद पर चयन हेतु बैठक की कार्यवाही जिसकी छाया प्रति अभिलेख पर रक्षित है के परिशीलन से यह ज्ञात होता है कि उक्त आम सभा की बैठक की कार्यवाही में आम सभा की बैठक का स्थान अंकित नहीं है जबकि मार्गदर्शिका के कंडिका 8.11 में प्रावधानित है कि '' आम सभा की बैठक उसी टोला/गॉव/मोहल्ला के सार्वजनिक स्थल पर की जायेगी, जिस टोला/गॉव /मोहल्ला में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह आम सभा किसी व्यक्ति विशेष के घर/आंगन में आयोजित नहीं की जायेगी ''। सेविका के लिए चयन की प्रकिया में मार्गदर्शिका में निहित प्रावधान का अक्षरशः पालन किया गया प्रतीत नहीं होता है*। **वर्णित स्थिति में जिलाधिकारी, सुपौल सेविका का चयन की प्रकिया में मार्गदर्शिका–11 के कंडिका 8 एवं संबंधित उपकंडिकाओं में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन किया गया है या नहीं से आश्वस्त हो लेंगे। उक्त चयन में मार्गदर्शिका का अक्षरशः अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन कराते हुए उक्त केन्द्र पर सेविका का चयन नये सिरे से कराना सुनिश्चित करेंगे**। अपील अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा